सं.आई-17012/02/2020-सतर्कता

भारत सरकार

पत्र सूचना कार्यालय

(सतर्कता अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 09.06.2021

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन अनुपालन के संबंध में पारदर्शिता लेखा परीक्षा।

उपर्युक्त विषय पर प्रशासन-1 अनुभाग के दिनाक 02.06.2021 के पत्र संख्या आई. 11013/1/2021-प्रशासन-1 का संदर्भ लें। सतर्कता अनुभाग के संदर्भ में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

1.11	कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। (धारा 4 (2))	04
1.11.1	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरूद्ध छोटी या बड़ी शास्ति कार्यवाहियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है।	04
1.11.2	छोटी शास्ति या बड़ी शास्ति कार्यवाहियों का निर्णय हो गया है।	00

इसे अपर महानिदेशक (सतर्कता) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जगदीश कुमार)
अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-1)
पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय), नई दिल्ली

प्रतिलिपि : एनआईसी को सतर्कता अनुभाग के संबंध में उत्तर अपलोड करने हेतु।

<u>आरटीआई मामला/अति तत्काल</u>

<u>समयबद्ध</u>

<u>अनुस्मारक - III</u>

फा.सं.आई-11013/1/2021-प्रशासन-1

भारत सरकार

पत्र सूचना कार्यालय

प्रशासन-1 अनुभाग

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 02.06.2021

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन अनुपालन के संबंध में पत्र सूचना कार्यालय का वर्ष 2020-21 की पारदर्शी लेखा परीक्षा।

उपर्युक्त विषयक नोट (प्रति संलग्न) पर दिनाक 01.04.2021 और 22.04.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लें।

2. पत्र सूचना कार्यालय (डीपीएस और पीएमएस को छोड़कर) के सभी अनुभागों से अपेक्षित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कृपया उक्त सूचना तत्काल दिनांक 04.06.2021 तक हर हाल में उपलब्ध करवाएं।

संलग्न : यथोक्त

(के. एस. मुरलीधरन)
अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

पत्र सूचना कार्यालय के सभी अनुभाग, नई दिल्ली।

<u>आरटीआई मामला/अति तत्काल</u>

<u>समयबद्ध</u>

<u>अनुस्मारक</u>

फा.सं.आई-11013/1/2021-प्रशासन-1

भारत सरकार

पत्र सूचना कार्यालय

प्रशासन-1 अनुभाग

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

दिनांक: 22 अप्रैल, 2021

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन अनुपालन के संबंध में पत्र सूचना कार्यालय का वर्ष 2020-21 की पारदर्शिता लेखा परीक्षा।

उपर्युक्त विषयक नोट (प्रति संलग्न) पर दिनाक 01.04.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लें।

2. अपेक्षित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कृपया उक्त सूचना तत्काल दिनांक 30.04.2021 तक हर हाल में उपलब्ध करवाएं।

संलग्न : यथोक्त

(जगदीश कुमार)
अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

पत्र सूचना कार्यालय के सभी अनुभाग, नई दिल्ली।

<u>आरटीआई मामला/अति तत्काल</u>

<u>समयबद्ध</u>

फा.सं.आई-11013/1/2021-प्रशासन-1

भारत सरकार

पत्र सूचना कार्यालय

प्रशासन-1 अनुभाग

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

दिनांक: 01.04.2021

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन अनुपालन के संबंध में पत्र सूचना कार्यालय का वर्ष 2020-21 की पारदर्शिता लेखा परीक्षा।

कृपया उपर्युक्त उल्लिखित विषय पर दिनाक 16 मार्च, 2021 अनुभाग अधिकारी (आरटीआई) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त दिनाक 23.02.2021 के इमेल और उसके साथ संलग्न आई डी नोट संख्या आर-11012/1/2021-आरटीआई का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त वर्णित आई डी नोट के तहत, आई आई एम सी, नई दिल्ली को मंत्रालय द्वारा इसके अधीन सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन थर्ड पार्टी पारदर्शिता लेखा परीक्षा के संचालन हेतु नामित किया गया है।

3. कृपया पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें 'सूचना मैनुअल' और 'पारदर्शिता लेखा परीक्षा' को पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान अपलोड किया गया है। इसका संदर्भ लेते हुए कृपया अपने अनुभाग में उपलब्ध अद्यतन सूचना प्रदान करने की कृपा करें।

4. यह एक समयबद्ध प्रक्रिया है अत: प्रशासन-1 अनुभाग को अद्यतन सूचना तत्काल दिनांक 6 अप्रैल, 2021 तक प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

संलग्न : यथोक्त

(के. एस. मुरलीधरन)
अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

पत्र सूचना कार्यालय के सभी अनुभाग, नई दिल्ली।

सं.आई-17012/02/2020-सतर्कता

भारत सरकार

पत्र सूचना कार्यालय

(सतर्कता अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 13.07.2021

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन अनुपालन के संबंध में पारदर्शिता लेखा परीक्षा।

उपर्युक्त विषय पर दिनाक 02.07.2021 के प्रशासन-I अनुभाग के पत्र संख्या आई. 11013/1/2021-प्रशासन-1 का संदर्भ लें। सतर्कता अनुभाग से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन क्रम सं. 4.5 (i) के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

4.5	(**<u>i) शिकायत निवारण तंत्र</u>** इस संबंध में यह उल्लिखित किया जाता है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग लोक शिकायत के लिए एक नोडल कार्यालय है। पत्र सूचना कार्यालय को लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से याचिकाएं शिकायते प्राप्त होती है। इसके बाद शिकायतों को संबंधित अनुभाग/एकक को निपटान के लिए भेजा जाता है। सामान्यतया संबंधित अनुभाग/एकक सतर्कता अनुभाग को सूचित करते हुए 60 दिनों के भीतर सीधे याचिकाकर्ता के शिकायत का निपटान करता है। यदि कोई शिकायत याचिका पत्र सूचना कार्यालय से संबंधित नहीं होती है तो इसे लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को वापस कर दिया जाता है। अंत में प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) के अनुमोदन से संबंधित अनुभाग/एकक द्वारा शिकायत याचिकाकर्ता को दिए गए उत्तर को लोक शिकायत पोर्टल में अपलोड करते हुए शिकायत याचिका को हटा दिया जाता है। पिछले वर्ष 2020-21 में पत्र सूचना कार्यालय ने कार्यालय में प्राप्त 63 ऑनलाइन शिकायत याचिकाओं का निपटान किया था।

इसे अपर महानिदेशक (सतर्कता) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जे. एस. अस्थाना)
उप निदेशक (सतर्कता)

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-1)
पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय), नई दिल्ली
प्रतिलिपि : एनआईसी को सतर्कता अनुभाग के संबंध में उत्तर अपलोड करने हेतु।